रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)—73

REGISTERED NO. D. (D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 1978/पौष 24, 1899

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 1978/PAUSA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1977

सा०का०नि० 42—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, केरल के कार्यालय के विधि सहायक श्री एम० अहमद कुंजू को केरल के सभी न्यायालयों में अधिनियम के उद्भूत सभी अभियोगों को सम्पन्न करने के लिए कम्पनी अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा०सं० 12/13/77-सी० एल० 6]
बी०बी० बारुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 24th December, 1977

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government herey appoints Shri M. Ahmed Kunju, Legal Assistant in the office of the Registrar of Companies, Kerala as Company Prosecutor for the conduct of prosecution cases arising out of the said Act in all the courts of Kerala

[F. No. 12/13/77-CL. IV]
B. B. BARURI, Under Secy.

गृह मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 43—भारतीय प्रशासन (सेवा संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् —

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में मध्यप्रदेश शीर्षक के अधीन —

(1) प्रविष्टि 5 में अंक '34' के स्थान पर अंक '41' प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) अंत में आने वाले '246' तथा '324' अंकों के स्थान पर क्रमशः '255' तथा '331' अंक प्रतिस्थापित किए जाएं।

129 GI/77—1

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Grade III Draftsman Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices Grade III Draftsman Recruitment (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Grade—III Draftsman Recruitment Rules, 1965, in column 2 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Group C (Non-Gazetted, Technical)".

[No. 39/1/77-EC. IV]

S. K. SHARMA, Section Officer (Special).

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 102- –संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1977 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 1 के सम्मुख कालम 12 के अंतर्गत प्रविष्टियों के नीचे नोट के पैरा (2) में "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और 3 महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फाइल सं० 12018(5)76-बी(ए)]

एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 15th December, 1977

G.S.R. 102.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

(1) These rules may be called the Alll India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, against serial No. 1 in paragraph (2) of the Note below the entries in Column 12, for the words "three years", the words "three years and three months" shall be substituted.

[F. No. 12018(5)/76-B(A)]

M. L. TANDON, Under Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1977

सा०का०नि० 103. –संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश संचार सेवा (वर्ग-4 पद) भरती नियम, 1955 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश संचार सेवा (वर्ग 4 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश संचार सेवा (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1965 की अनुसूची में पद 11 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित पद अन्तःस्थापित की जाएगी, यथा :—

1	2	3	4	5	6	7
"12 फैरो प्रिंटर	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा की हो और जो फैरो प्रिंटिंग में प्रवीणता रखते हो	1. निदेशक —अध्यक्ष 2. कार्यभारी इंजीनियर —सदस्य 3 सहायक प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य 4 मौसम विज्ञानी ग्रेड I —सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० ए० 12018/2/77-ओ०सी०]

मूलन सेव, अवर सचिव